

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बरेली।

प्रशासनिक आदेश सं० 306 /2024

दिनांक : अप्रैल, 18, 2024

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधिसूचना संख्या सं० 209/एडमिन सर्विसेज/2024 दिनांकित 13.04.2024 एवं 210/एडमिन सर्विसेज/2024 दिनांकित 13.04.2024 को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के प्रभाव एवं प्रशासनिक आदेश सं० 294/2024, 295/2024, 296/2024 एवं 297/2024 दिनांकित 15.04.2024 के क्रम में न्यायिक अधिकारीगण को आवंटित न्यायालय के परिणामस्वरूप न्यायिक अधिकारीगण के बैठने हेतु न्यायालय कक्ष, विश्राम कक्ष का आवंटन निम्नवत् किया जाता है। यह आदेश दिनांक 18.04.2024 से प्रभावी होगा।

क्रम संख्या	पूर्व कार्यरत/पदास्थापित न्यायालय का नाम	कक्ष सं० जिसमें पूर्व न्यायालय स्थापित रहा है।	वर्तमान में पदास्थापित होने वाले न्यायिक अधिकारी व न्यायालय का नाम	वर्तमान में न्यायालय हेतु आवंटित कक्ष संख्या
1.	विशेष न्यायाधीश पी०सी०एक्ट, कोर्ट सं० 2, बरेली।	कक्ष सं० 24, प्रथम तल	श्री आकाश वर्मा अपर सिविल जज सी०डी०, कोर्ट सं० 7	कक्ष सं० 24, प्रथम तल
2.	अपर जिला जज, कोर्ट सं० 16	कक्ष सं० 28 प्रथम तल	श्रीमती रंजना सरोज, अपर सिविल जज, सी०डी०, कोर्ट सं० 4	कक्ष सं० 28 प्रथम तल
3.	अपर सिविल जज जु०डी०, कोर्ट सं० 5	कक्ष सं० 27 प्रथम तल	श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, अपर सिविल जज, सी०डी०, कोर्ट सं० 3	कक्ष सं० 27 प्रथम तल
4.	अपर सिविल जज जु०डी०, कोर्ट सं० 1	कक्ष सं० 06 भूतल	श्रीमती अंकिता धामा, अपर सिविल जज सी०डी०, कोर्ट सं० 6	कक्ष सं० 06 भूतल
5.	रिक्त कक्ष	प्रथम तल	श्री नरेन्द्र कुमार-VI, अपर सिविल जज, कोर्ट सं० 5	-
6.	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं० 1	कक्ष सं० 04 द्वितीय तल	श्री शिखर अग्रवाल अपर सिविल जज, जु०डी०, कोर्ट सं० 1	कक्ष सं० 04 द्वितीय तल
7.	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं० 2	कक्ष सं० 03 द्वितीय तल	श्रीमती अरोमा रोमन पाइसेस अपर सिविल जज, जु०डी०, कोर्ट सं० 4	कक्ष सं० 03 द्वितीय तल
8.	कार्यालय अपर लघुवाद न्यायाधीश,	कक्ष सं० 27 द्वितीय तल	श्री इकराम अली खॉं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं० 1	कक्ष सं० 27 द्वितीय तल
9.	कार्यालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं० 04	कक्ष सं० 29 द्वितीय तल	श्री सआदत अली विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं० 2	कक्ष सं० 29 द्वितीय तल
10.	विडियो कान्फेरेंसिंग रूम	भूतल	रिक्त न्यायालय विशेष न्यायाधीश पी०सी०एक्ट, कोर्ट सं० 2, बरेली।	भूतल

नोट : -

1. क्योंकि इस आदेश के परिणामस्वरूप कई न्यायालय एवं कार्यालय की पत्रावली एवं उनसे सम्बन्धित आवश्यक उपस्कर एक कक्ष से दूसरे कक्ष में शिफ्ट किये जाने की सम्भावना हो सकती है, अतएव केन्द्रीय नाजिर को आदेशित किया जाता है कि वे उच्च प्राथमिकता के आधार पर नजारात में उपलब्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सहयोग एवं उपलब्ध संसधानों से उक्त शिफ्टिंग का कार्य सम्बन्धित न्यायालय एवं कार्यालय के कर्मचारीगण से समन्वय स्थापित करके पूर्ण करायेंगे, ऐसा करने में कोई त्रुटि न हो।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन न्यायालयों के न्यायालय कक्ष का परिवर्तन हुआ है, यदि उस न्यायालय का पूर्व में कार्यालय कक्ष आवंटित है तो वह कार्यालय उसी पूर्व आवंटित कक्ष में संचालित होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस नवीन व्यवस्था के तहत नवसृजित/शिफ्ट किये गये किसी न्यायालय के कार्यालय के सम्बन्ध में किसी प्रकार की असुविधा या कार्यालय उपलब्धता का अभाव उत्पन्न होगा या उससे सम्बन्धित कोई मामला प्रकाश में आयेगा तो सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी उक्त सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से सूचित करेंगे जिस पर निकट भविष्य में तत्काल सम्यक विचारोपरान्त यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

दिनांक : अप्रैल, 18, 2024

(विनाद कुमार-III)

जनपद न्यायाधीश,
बरेली।